IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

महिलाओं की सामाजिक–राजनीतिक स्थिति : बिहार में पंचायती राज के विशेष सन्दर्भ में

ABHINAS KUMAR PRASAD
RESEARCH SCHOLAR, DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE, RKDF UNIVERSITY, RANCHI, JHARKHAND

सारांश : महिलाएँ सभी संस्कृतियों का हिस्सा और पार्सल हैं। किसी भी देश की नियति तय करने में इनकी अहम भूमिका होती है। इस प्रकार, सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों में जाग–कता और बढ़ी हुई भागीदारी सभी अधिक महत्वपूर्ण हैं। उनका विकास समग्र से समाज को बढ़ावा देने के लिए मुख्य उत्तोलक है और यह व्यक्तिगत समूहों में इस समाज की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। महिलाओं की अनुचित स्थिति शायद अधिकांश पश्चिमी समाजों की सबसे खतरनाक विशेषता है। शोधपत्र में महिलाओं के सामान्य जीवन के अनुभवों को ठीक से जाना और समझा है जिसमें अनुभव की सत्यता है। शोधपत्र पुस्तकालीय एवं विश्लेषणात्मक विधि पर आधारित है। यह अध्ययन शोधार्थियों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है।

मुख्य शब्द : मानव विकास, गरीबी, पंचायती राज, विकास, महिला आबादी आदि।

भारत में सभ्यता के प्रारंभ से ही महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक मानवता के लिए आध्यात्मिक सिद्धांतों और भक्ति का चित्रण सीता, अनुसुइया, अहिल्या, लक्ष्मीबाई, मीराबाई, रजिया सुल्तान, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, किरण बेदी, मेधासा पाटकर आदि द्वारा किया गया है। भारतीय संस्कृति में महिलाएं प्रतिनिधित्व किया गया है और देवताओं के स्तर तक ऊंचा किया गया है, लेकिन दुख की बात है कि पितृसत्तात्मक परिवार की प्रकृति और अन्य सामाजिक– ऐतिहासिक कारकों ने महिलाओं को अधीनस्थ बना दिया है। हाल के सहस्राब्दियों में भारत में महिलाओं की भूमिका में कई बदलाव आए हैं। जबकि समाज में महिलाओं की भूमिका में सुधार करने के लिए बहुत कुछ हासिल किया गया है, भारत में महिलाओं का इतिहास पुराने पुरुषों के साथ समान स्थिति से लेकर निम्न मध्यकालीन अपेक्षाओं तक और कई सुधारकों द्वारा उचित अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए है। आधुनिक भारत में महिला कार्यालयों को सजाया गया था, जैसे राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष और कई अन्य।

भारत का पंचायती राज लंबे समय से अस्तित्व में था, लेकिन वे अनियमित चुनाव, लंबे समय तक सुपर सत्र, अपर्याप्त महिलाओं और कमजोर वर्गों, प्रतिनिधिमंडल की कमी और वित्तीय पूंजी की कमी के कारण रैंक और गरिमा हासिल नहीं कर पाए थे। इन कमियों को संविधान के कई महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्वों को जोड़कर संबोधित किया जा सकता है ताकि उन्हें नियमित चुनाव के आधार पर ग्राम पंचायती राज निकायों की स्थापना के लिए आवश्यक बनाया जा सके, महिलाओं और तंत्र निकायों सहित कमजोर हिस्सों पर आरक्षण, पंचायती राज संस्थाओं के उचित संवैधानिक समर्थन से पहले। ग्राम पंचायत अधिनियम 24 दिसंबर 1996 से आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान को 8 स्थिति वाले आदिवासी जिले में शामिल करने के लिए बढ़ा दिया गया है। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर और दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में अब ग्राम पंचायती राज का एक रूप है। इस अधिनियम का उद्देश्य 20 लाख से अधिक नागरिकों वाले देशों के लिए ग्राम पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना स्थापित करना, प्रत्येक पांच वर्ष में नियमित रूप से ग्राम पंचायत चुनाव कराना, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें, सिफारिश करने के लिए एक राज्य वित्त समिति की नियुक्ति करना है।

महिलाओं को पुरुषों के अधीन किया गया था जो कि सेक्स के लिए अनुवांशिक थे मध्यकालीन काल में, महिला की स्थिति उस समय के दौरान समाज में महिलाओं की भूमिका पितृसत्तात्मक प्रथाओं, दमनकारी सामाजिक मानदंडों, धार्मिक बाधाओं और प्रभावी कानूनी सुरक्षा की कमी के साथ अधिक निराशाजनक थी । १८वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेज भारत आए। कोई बदलाव नहीं किया गया है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में, कई समाज सुधारकों ने विभिन्न महिला सुरक्षा और उत्थान कानूनों को लागू करने के लक्ष्य के साथ महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए अपना पहला महत्वपूर्ण प्रयास शुरू किया । संविधान सभा में भाग लेकर आजादी के बाद की इस सामाजिक गलती को भारत में महिलाओं के अद्वितीय अधिकार देने वाले लेखों से ठीक किया जा सकता था।

गौतम साधु, चंद्र भूषण शर्मा (2019) वर्तमान अध्ययन पंचायतों में महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी की सीमा और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारकों को जानने का एक प्रयास है। इस अध्ययन के परिणाम से पता चलता है कि महिलाओं के लिए आरक्षण स्थानीय स्तर पर राजस्थान, भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन हो सकता है लेकिन यह निर्वाचित महिलाओं की भागीदारी की गारंटी नहीं है। परिवार के पुरुष सदस्यों और पंचायत के अन्य सदस्यों द्वारा महिलाओं को पंचायत गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने से रोका जाता था । पुरुष सदस्य अक्सर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (ईडब्ल्यूआर) के स्थान पर बैठकों में भाग लेने पर जोर देते थे। पुरुष पंचायत सदस्यों ने ईडब्ल्यूआर की अनुपस्थिति में साक्षरता के निम्न स्तर और ज्ञान और अनुभव की कमी का फायदा उठाया और उन्हें महत्वपूर्ण बैठकों दूर रखने की कोशिश की। कई निर्वाचित महिलाओं ने शिकायत की कि निर्णय लेने के दौरान उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया और न ही उनसे परामर्श किया गया। कुछ लोगों ने महसूस किया कि उनके विचारों को केवल इसलिए नजरअंदाज किया गया क्योंकि वे महिलाएँ थीं। पति सभी काम और गतिविधियों को संभालते हैं और उनके पतियों द्वारा उनके निर्णयों को स्वीकार करने के लिए दबाव डाला जाता था । सिर्फ आरक्षण से ही महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। अध्ययन में महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के निर्णय लेने को प्रभावित करने वाले कारकों का भी पता लगाने का प्रयास किया गया । इस प्रक्रिया को तेज करने और तेज करने के लिए कुछ पूरक नीतियों को लागू करना आवश्यक है जो महिलाओं के आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करती हैं, महिलाओं की क्षमताओं का निर्माण करती हैं और परिचालन बाधाओं को दूर करती हैं। महिलाओं को हर स्तर पर प्रभावी ढंग से भाग लेने और प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत से और निर्वाचित प्रतिनिधियों के कार्यकाल के दौरान क्षमता निर्माण समर्थन की आवश्यकता थी । महिलाओं को नेताओं के रूप में मान्यता देने और प्रॉक्सी उम्मीदवारों के उन्मूलन के लिए एक सक्षम वातावरण की आवश्यकता थी।

तुलसीदास वी. (2019) का मत है कि व्यक्तिगत व्यक्तित्व किसी की नेतृत्व शैली को निर्धारित करने में एक भूमिका निभाता है। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व एक नेता के रूप में व्यक्ति के विकास और विकास में योगदान देता है।

कि उनका कामकाज असमान है। ग्राम सभाओं की ज्यादातर बैठकें नहीं हुई हैं, कम ही भाग लिया है, और सक्रिय भी नहीं हैं। उपरोक्त अध्ययनों ने कुछ कमियों की पहचान के लिए गुंजाइश दी है, जिन्हें पंचायती राज प्रणाली के प्रभावी प्रदर्शन के लिए भविष्य में अनुसंधान करने के लिए और समीक्षा की आवश्यकता है।

वीजी नांदेड़कर (2019) ने विकास प्रशासन के परिप्रेक्ष्य में नासिक जिले (महाराष्ट्र) में पंचायती राज संस्थानों का अध्ययन किया और देखा कि पंचायती निकायों का प्राथमिक कर्तव्य सामुदायिक विकास की पूरी प्रक्रिया को पुनर्जीवित करना है ताकि इसे आधार का विस्तार करने के लिए भाग लिया जा सके।

केवी जगन्नाथ राव (2019) ने भारत में जमीनी स्तर पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन में डीआरडीए की भूमिका का विश्लेषण किया है। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक योजना के संबंध में वार्षिक योजनाएं संबंधित पंचायतों द्वारा तैयार की जानी चाहिए और पंचायतों को प्रगति की निगरानी, उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने और धनराशि जारी करने के लिए बुनियादी इकाई के रूप में अपनाया जा सकता है।

एस. अम्बेडकर (2019) ने ग्रामीण विकास और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया है। उन्होंने सुशासन सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोगों की सार्थक भागीदारी की वकालत की है और 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों से आगे जाने पर जोर दिया है। उन्होंने देखा

कि अन्य बातों के अलावा महिलाओं और एससी, एसटी और बीसी के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले संशोधनों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में विकेन्द्रीकृत विकास योजना स्थानीय निकायों को सुशासन के लिए बढ़ी हुई शक्तियों और समर्थन के माध्यम से वित्तीय क्षमताओं को बढ़ाती है। ग्रामीण विकास लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए संपर्क किया।

डी.वी. सुब्बाराव (2019) ने उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में भारत में संस्थागत सुशासन पर चर्चा की। उन्होंने विश्लेषण किया कि संपत्ति एक ज्वलंत समस्या है। स्वास्थ्य और शिक्षा को वह प्राथमिकता नहीं दी गई जिसके वे हकदार हैं। समाज में भ्रष्टाचार व्याप्त है। खाद्य मुद्रास्फीति लोगों और नीति निर्माताओं के लिए प्राथमिक चुनौती रही है। इन सभी समस्याओं का कृषि से गहरा संबंध है। उन्होंने कृषि और भूमिका विकास क्षेत्र के स्थायित्व में सुधार के लिए शासन की भूमिका का भी विश्लेषण किया। यह समस्या से निपटने के लिए आवश्यक निवेश माहौल के साथ समग्र दृष्टिकोण पर प्रकाश डालता है, जिसमें एक तरफ क्षेत्रीय संतुलन और दूसरी ओर स्थिरता रखते हुए भविष्य की दृष्टि होती है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भारतीय कृषि का लक्ष्य एक सतत विकास है। आवश्यक तकनीक का पता लगाया जाना है। संस्थानों को बढ़ाने की जरूरत है। लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना होगा । उत्पाद श्रृंखला में उत्पाद नवाचारों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

बात की है कि आर्थिक सुधारों को सुदृढ़ करने और जमीनी स्तर पर आवश्यक सामाजिक सेवाओं के वितरण के लिए प्रमुख शासन सुधार के रूप में पंचायती राज को केंद्र में लाया जाए। स्थानीय स्वदृ सरकारों द्वारा सेवा वितरण में सुधार इन निकायों द्वारा की गई योजना की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा। इस प्रकार भारत सरकार के पास उपलब्ध एक प्रमुख साधन राज्य सरकारों को राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करना है जो उन्हें राष्ट्रीय रणनीति के अनुसरण में स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। केंद्रीय प्रावधान के एक मॉडल से विकेंद्रीकरण के मॉडल से स्थानीय सरकारों में जाने से राष्ट्रीय और स्थानीय नीति निर्माताओं के बीच एक नया संबंध शुरू होता है, जबकि नागरिकों, निर्वाचित राजनेताओं और स्थानीय नौकरशाही के बीच कई मौजूदा संबंधों में बदलाव होता है। हालाँकि, विकेंद्रीकरण को लागू करने की समस्या उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि सेवा वितरण परिणामों को प्रभावित करने में प्रणाली का डिजाइन। जब जमीनी स्तर की नियोजन प्रक्रियाएं गहरी जड़ें मारती हैं, तो आर्थिक सशक्तिकरण मजबूत और टिकाऊ दोनों होता है।

महिलाओं के सशक्तिकरण में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका निम्न प्रकार से महत्वपूर्ण है –1) सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं के विकास के लिए एक सकारात्मक वातावरण बनाकर और उन्हें पूरी क्षमता का एहसास कराने में सक्षम बनाना

2) स्थानीय स्तर पर सामाजिक–आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना और कार्यान्वयन के संबंध में निर्णय लेने में समान भागीदारी के लिए महिलाओं को पहुंच और अवसर प्रदान करके।

3) नए अभ्यास और व्यवहार के माध्यम से महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में धीरे–धीरे परिवर्तन करके । महिलाओं से संबंधित गतिविधियों में नागरिक समाज और पंचायतों के साथ सहयोग को मजबूत करके। चूंकि राजनीतिक अवसरों तक पहुंच और राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी महिलाओं की प्रतिभा और दक्षता की खोज में क्षमता और स्वायत्तता के महत्वपूर्ण घटक हैं जो देश के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं। इसलिए, महिला सशक्तिकरण को प्राप्त करने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों जैसे पुरुष सज्जन, धार्मिक प्रमुखों, राजनीतिक नेताओं के समन्वय के साथ उन्नति की सुविधा प्रदान की जा सकती है, जिन्हें आगे आना चाहिए और अपने पारस्परिक हित को भी अहंकार को समझने और सराहना करने के लिए त्याग देना चाहिए। महिलाएं समाज के उतने ही महत्वपूर्ण अंग हैं जितने कि पुरुष।

मिश्रा ए.के., नावेद अख्तर और अन्य (2016), इस पत्र के लेखकों ने विस्तार से चर्चा की है और देखा है कि आजादी के बाद से देश का समग्र विकास भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य है। पहले विकास का मुख्य जोर कृषि, उद्योग, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और संबद्ध क्षेत्रों पर रखा जाता था, लेकिन जल्द ही यह महसूस किया गया कि ग्रामीण भारत के विकास से ही देश का सर्वांगीण विकास संभव है।

न केवल मानव संसाधनों के उपयोग में बल्कि महिलाओं को राजनीतिक स्थान देने में भी पिछड़ा हुआ है।अध्ययन में पाया गया कि क्षेत्र की महिलाएं भाग ले रही हैं और राजनीति में अपनी हिस्सेदारी बना रही हैं, वे चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं, यह एक नया चलन है क्योंकि इससे पहले इन

महिलाओं की किसी भी तरह की रुचि नहीं थी। ग्रामीण विकास में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के माध्यम से समाज के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत किया गया है।

सन्दर्भ :

1. कल्पना कुमारी, एन., और कृष्णा कुमारी, ए. (2015) पंचायतों में उभरती महिला नेतृत्व में जाति और पितृसत्तादृ कर्नाटक से एक अध्ययन–मुंबई – टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान– ऋषिदृ वॉल्यूम 37., नंबर 2 एल

2. गौतम साधु, चंद्र भूषण शर्मा (2019) वोटिंग बिहेवियर एंड पॉलिटिकल प्रोसेस इन पंचायती राज इलेक्शन ए केस स्टडी ऑफ द पेंडुर्थी समिति ऑफ विजाग–जिला परिषद प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आंध्रा यूनिवर्सिटी, वाल्टेयर

3. तुलसीदास वी. (2019). पंचायती राज संस्थान, अशोक मेहता समिति के मुद्दों, समस्याओं और सिफारिशों का विश्लेषण, आशीष पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली

4. रविंदर, डी.,(2019), पॉलिटिक्स ऑफ पंचायती राज – ए केस स्टडी ऑफ ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश, अप्रकाशित थीसिस आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम

5. वीजी नांदेड़कर (2019), पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण विकास को सक्रिय करना, एडसेमिक फाउंडेशन, नई दिल्ली

6. केवी जगन्नाथ राव (2019) मैसूर राज्य में पंचायती राज में नेतृत्व का उभरता हुआ स्वरूप। जैकब जॉर्ज (संपा.) में पंचायती राज पर पढ़ना । हैदराबाद – एनआईसीडी

7. एस. अम्बेडकर (2019) कांगड़ा जिले में पंचायती राज , नई दिल्ली – ओरिएंट लॉन्गमैन्स लिमिटेड

8. डी. वी. सुब्बाराव (2019) विकास कार्यों पर महिलाओं की छाप। ग्राम पंचायतों में निर्वाचित महिला नेताओं पर लेखों का चयन करें– नई दिल्ली। भूख परियोजना ,वॉल्यूम 1, 51

9. नूपुर तिवारी (2018), उड़ीसा में पंचायती राज और जनजातीय विकास – एक अवलोकन – पुडुचेरी– वर्तमान शोध का अंतर्राष्ट्रीय जर्नल – समाजशास्त्र विभाग, पांडिचेरी विश्वविद्यालय

10. माधुर्य चेतिया, देवज्योति गोगोई, (2018) ग्राम पंचायतों का संगठन , बुलेटिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पटना यूनिवर्सिटी

11. ई.ए. नारायण (2018), पंचायती राज इन एक्शन, कल्पाज पब्लिकेशन, दिल्ली।

12. मिश्रा ए.के., नावेद अख्तर और अन्य (2016), विकेंद्रीकृत लोकतंत्र – अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज का मूल्यांकन , इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल

साइंस स्टडीज (आईजेएचएसएसएस), राजीव गांधी विश्वविद्यालय, विद्वान प्रकाशन, अरुणाचल प्रदेश, खंड 1

13. बिस्वदयाल प्रधान, (2016)विधान से आंदोलन तक पंचायती राज–नई दिल्ली – अवधारणा प्रकाशन

14. कश्मीरा सिंह चेतांशी (2015) विधान से आंदोलन तक पंचायती राज–नई दिल्ली–अवधारणा प्रकाशन कंपनी

15. बिजेंद्र लुंथी (2015), डायनेमिक्स ऑफ न्यू पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली

16. ई. ए. नारायण (2018), पंचायती राज प्रशासन के लिए एक पुस्तिका, अशोक कुमार मित्तल, नई दिल्ली

17. अनिल एस सुतार (2017), भारत में पंचायती राज के पैटर्न, भारत की मैकमिलन कंपनी, नई दिल्ली